पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाः सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पचमढ़ी एवं बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य

खण्ड 1– क्षेत्रीय विकास योजना

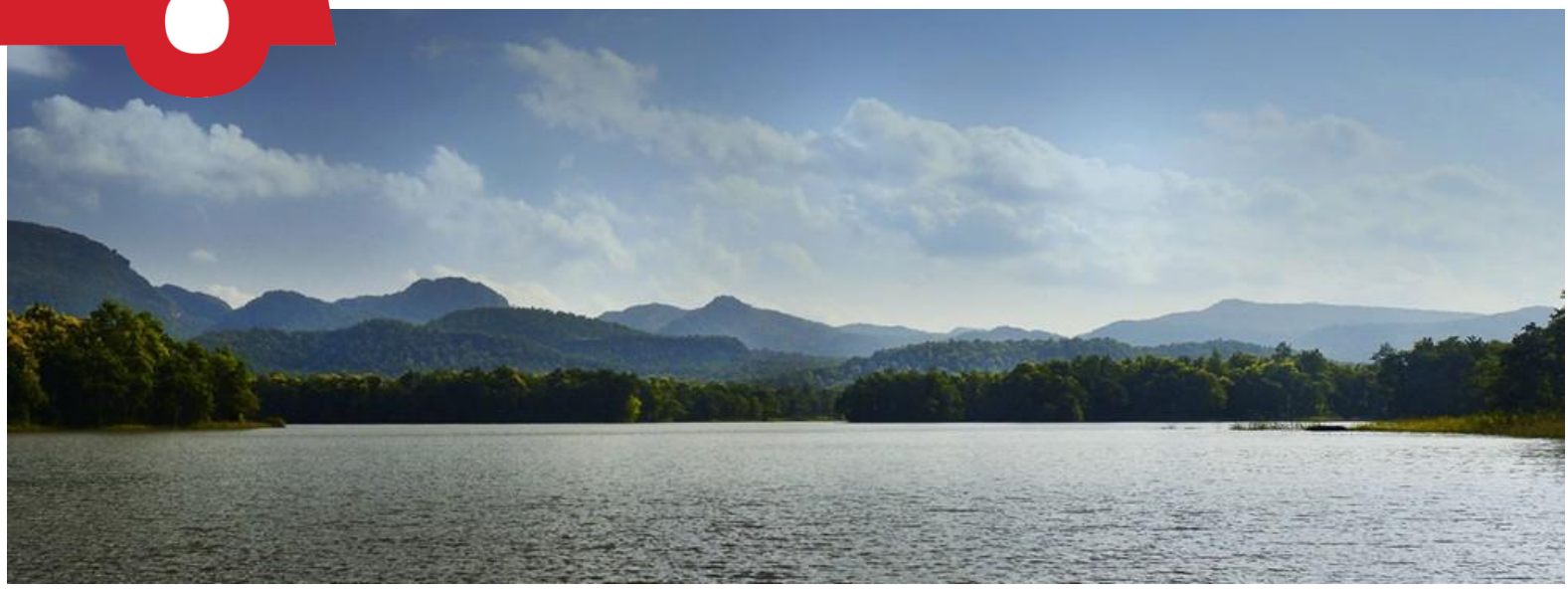

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड,

भोपाल

पर्यावरण संवदेनशील क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाः सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पचमढ़ी एवं बोरी वन्यजीव अभ्यारण।

पहचान तालिका

क्लाइंट/प्रोजेक्ट ओनर	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल
परियोजना	पर्यावरण संवदेनशील क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाः सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पचमढ़ी एवं बोरी वन्यजीव अभ्यारण
अध्ययन	क्षेत्रीय विकास योजना
भाषा	हिन्दी
पृष्ठों की संख्या	37

अध्याय सूची

1 हरित भू–दृश्य की योजना 6

1.1 परिकल्पना 6

1.2 उद्देश्य 6

1.1.1 अल्पकालिक उद्देश्य 6

1.1.2 दीर्घकालिक उद्देश्य 6

2 रणनीतियाँ 8

2.1 पर्यावरण अनुकूल भूमि उपयोग योजना 8

2.2 सतत विकास के क्षेत्र 8

2.3 विकास के लिए सुझावात्मक दिशा–निर्देश 8

2.1.1 होटल और रिसॉर्ट के विकास के लिए सुझाए गए दिशानिर्देश 10

2.4 पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयुक्त क्षेत्र 11

3 विषयगत योजनाएँ 12

3.1 मृदा नमी व्यवस्था की बहाली और भूमि संरक्षण 12

3.2 वर्षा जल संचयन 12

3.3 अपशिष्ट जल उपचार 12

3.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 12

3.5 जल आपूर्ति, जल निकासी और वर्षा जल प्रबंधन 13

3.1.1 पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के ग्रामों में स्वच्छता 13

3.6 ग्रामों के लिए सामाजिक अधोसंरचना 13

3.7 वाहन यातायात नियंत्रण 13

3.7.1 मार्ग चौड़ीकरण और सुधार का प्रस्ताव 14

3.7.2 बस स्टॉप का प्रस्ताव 14

3.7.3 संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रस्ताव 14

3.7.4 संकेत 15

3.7.5 गति अवरोधक 15

3.7.6 बाड़ लगाना 16

3.7.7 वन्यजीव मार्ग 16

3.7.8 शांति क्षेत्र 16

3.7.9 नियामक आधारभूत संरचना 17
3.8 संसाधन दोहन का प्रबंधन 17
3.9 खतरनाक और जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन 17
3.10 सतही और भू–जल निकासी 17
3.11 जल स्रोत संरक्षण 17
3.12 जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन विकसित करना 18
3.12.1 प्रदूषण रहित परिवहन को बढ़ावा देना 18
3.12.2 सौर ऊर्जा 19
3.12.3 बायोगैस 19
3.12.4 रात्रि आकाश का संरक्षण 19
3.12.5 प्रदूषण नियंत्रण के उपाय 19
4 आजीविका से संबंधित विषय 21
4.1 हितधारकों से परामर्श 21
4.2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था 21
4.3 पर्यावरण विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना 21
4.4 कृषि उद्योग 23
4.5 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से घरेलू उद्योग– 23
4.6 कृषि आधारित पर्यटन 23
5 पारिस्थितिकी पर्यटन, व्याख्या और संरक्षण शिक्षा– उप–क्षेत्रीय (सब ज़ोनल) पर्यटन विकास योजना 25
5.1 ईको सेंसिटिव ज़ोन में वर्तमान पर्यटन सुविधाएं और संपत्तियां 25
5.2 पर्यटन क्षेत्र 25
5.2.1 वन्यजीव पर्यटन क्षेत्र 25
5.2.2 पर्यावरण–पर्यटन क्षेत्र 26
5.2.3 पर्यटन गतिविधि क्षेत्र 26
5.2.4 ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र 26
5.2.5 प्रकृति पर्यटन क्षेत्र 26
5.3 पर्यावरण अनुकूल सामग्री और स्थानीय वास्तुकला के उपयोग के लिए सुझावात्मक उपाय 27
5.4 चिन्हित पर्यटन स्थलों में पर्यटन गतिविधियों का संवर्धन 27

5.4.1 प्रकृति पथ 27
5.4.2 कैम्पिंग, साहसिक गतिविधियाँ, ग्रामीण पर्यटन और शाम की सफारी 27
5.5 पर्यटन स्थलों का संरक्षण 28
5.6 कम प्रभाव वाली पर्यटन गतिविधियाँ 28
5.7 संपर्क सूत्र 29
5.8 अधोसंरचना 29
5.9 सतपुड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देना 29
6 अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण 30
6.1 अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण 30
6.2 योजना के कार्यान्वयन और कौशल विकास के लिए मानव संसाधन विकास 30
7 अनुमतियाँ, संगठन और प्रशासन 31
7.1 संरचना एवं उत्तरदायित्व 34
8 चरणबद्ध प्रक्रिया 35
8.1 प्रस्तावों की चरणवार प्राथमिकता 35
8.1.1 पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रस्तावित चरणबद्ध क्रियान्वयन 35
8.1.2 विकास और संरक्षण प्रस्तावों के लिए प्रस्तावित चरणबद्ध क्रियान्वयन 35
8.1.3 अधोसंरचना के लिए प्रस्तावित चरणबद्ध क्रियान्वयन 35
8.2 वित्तपोषण का स्रोत और आहरण एवं संवितरण तंत्र 36
9 निष्कर्ष 37

==00==

1 हरित भू–दृश्य की योजना

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजना और उप–क्षेत्रीय पर्यटन विकास योजना एक दूरदर्शी दस्तावेज है, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य परिभाषित हैं।

1.1 परिकल्पना

पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास पर दूरगामी प्रभाव का गहन अध्ययन और व्यापक मूल्यांकन करना, इसके साथ ही सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मजबूत विकास रणनीति को लागू करने या आवंटित करने के लिए एक नीतिगत और सुनियोजित दृष्टिकोण को सावधानीपूर्वक विकसित करना, जिससे सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिले और साथ ही प्राकृतिक आवासों और विविध वन्यजीवों के संरक्षण और बचाव को दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जा सके।

1.2 उद्देश्य

उद्देश्य, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकास योजना के प्रमुख घटक हैं। उद्देश्यों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है–

1.1.1 अल्पकालिक उद्देश्य

अ) नगरीय बसाहट के प्राकृतिक विकास और अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं से उत्पन्न प्रभावों के खतरा को कम करने के लिए सतत विकास रणनीतियाँ प्रदान करना।

- ✓ पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों को नियमित करना।
- ✓ स्थानीय समुदायों के लिए आधारभूत सरंचना सुविधाओं का प्रावधान करना।

ब) पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में पर्यावरण–पर्यटन को बढ़ावा देना।

- ✓ पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में पर्यावरण पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाना और उन्हें विकसित करना।
- ✓ वहन क्षमता के अनुसार पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सरंचना सुविधाओं का प्रावधान करना।

पहला उद्देश्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में विकास गतिविधियों से संबंधित है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित सभी 81 ग्रामों का भविष्य में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार किया जाएगा, इसलिए पहला उद्देश्य विकास के लिए एक सतत रणनीति का आधार प्रदान करता है जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी विकासात्मक गतिविधि के प्रभाव के जोखिम को कम करेगा। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। दूसरा उद्देश्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

1.1.2 दीर्घकालिक उद्देश्य

अ) प्राकृतिक संसाधनों के क्षय को रोकना।

- ✓ विकास दिशा–निर्देशों और प्रस्तावित भूमि उपयोग के माध्यम से ऐसे विकास को प्रतिबंधित करना जिससे प्राकृतिक संसाधनों का क्षय हो सकता है
- ✓ प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना

ब) सामुदायिक भागीदारी और कौशल विकास के माध्यम से पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर उत्पन्न करना

स) पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में पर्यावरण–पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित तीसरा उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित करना है। पर्यावरण–पर्यटन को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

==00==

2 रणनीतियाँ

इस अध्याय में वर्तमान भूमि उपयोग योजना, विकास के लिए सुझाए गए दिशा–निर्देश और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों के संबंध में है।

2.1 पर्यावरण अनुकूल भूमि उपयोग योजना

राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भूमि उपयोग और भूमि आवरण योजना तैयार की गई है, जैसा कि अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.1, चित्र 2.1 और सारिणी 2.1 में दर्शाया गया है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजना पर्यावरण अनुकूल भूमि उपयोग योजना (संरक्षण योजना) का समर्थन करता है।

2.2 सतत विकास के क्षेत्र

जल निकाय, वन आदि सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए क्षेत्र और आसपास के बफर क्षेत्र में विकास निषेध क्षेत्र प्रस्तावित किया जाना है। वन के कुछ क्षेत्रों में जहां पर्यटन गतिविधियां अनुमत हैं, वहां प्रकृति को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हुए ट्री कॉटेज और ट्री हाउस जैसी संरचनाएं बनाने की अनुमति है। वन क्षेत्रों में जहां पर्यावरण–पर्यटन गतिविधियां, इको कॉटेज और झोपड़ियां प्रस्तावित हैं, वहां कॉटेज का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे। इको कॉटेज वाले क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण और परिवेश को बेहतर बनाने के लिए भू–दृश्य, उद्यान और सामाजिक वानिकी का विकास किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में रिसॉर्ट प्रस्तावित हैं और जिन क्षेत्रों को भविष्य में बसाहट क्षेत्र के विस्तार के लिए विचाराधीन किया गया है, उनका विकास बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि जैसी पर्यावरण–अनुकूल सामग्री और हरित भवन अवधारणा के साथ योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। ग्रामीण बसाहट और भविष्य के विस्तार क्षेत्र का विकास सुझावात्मक विकास दिशानिर्देशों के अनुसार फॉर्म–बेस्ड कोड के आधार पर किया जाएगा। नगरीय बसाहटों और ग्रामों के ग्रामीण बसाहट क्षेत्र आमतौर पर सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले और घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। नगरीय और ग्रामीण बसाहट क्षेत्रों के नियमित विकास से जीवन सुगम होगा और क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास होगा। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में प्रस्तावित विकास की अवधारणा अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.2, अनुभाग 1.2.2.2, चित्र 2.2 में दर्शाई गई है।

2.3 विकास के लिए सुझावात्मक दिशा–निर्देश

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में विकास के लिए सुझाए गए दिशा–निर्देश लचीले होने के साथ–साथ संरक्षण–उन्मुख भी होने चाहिए, ताकि विकास गतिविधियों से स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के भीतर विकास गतिविधियाँ औपचारिक अनुमोदन के बाद और अनुमोदित योजना का कड़ाई से पालन करते हुए ही आगे बढ़ेंगी। इन दिशा–निर्देशों का उद्देश्य सतत विकास और संवेदनशील पारिस्थितिक पर्यावरण के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। इनका प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना और इसके साथ ही ऐसे उत्तरदायी विकास को बढ़ावा देना है जिससे पर्यावरण और

निवासियों दोनों को लाभ हो। कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुझावात्मक दिशानिर्देश हैं:–

- **संरक्षित क्षेत्र से 1 किमी के भीतर कोई नवीन व्यावसायिक गतिविधि प्रतिबंधित–** संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किमी की दूरी के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, नए व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं है, लेकिन वर्तमान निर्मित क्षेत्र के भीतर पहले से विद्यमान व्यावसायिक निर्माणों का नवीनीकरण और पुनर्निर्माण अनुमत है। (गजट नोटिफिकेशन क्रमांक 2538–अ, दिनांक 09 अगस्त 2017 का क्लॉज 4(ख) विनियमित क्रियाकलाप संख्या 12 एवं 13) अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.3, चित्र 2.3 देखें।
- **जल स्रोतों के बफ़र क्षेत्र के आसपास अनुमत गतिविधियाँ–** जल स्रोतों के चारों ओर बफ़र क्षेत्र प्रदान करने के लिए समान दिशानिर्देशों का पालन किया गया है, जो तटवर्ती क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा। जल निकायों के आसपास के इस बफ़र क्षेत्र में केवल संरक्षण उपाय, कृषि और संबंधित गतिविधियाँ ही अनुमत हैं (विनियमित और प्रोत्साहित गतिविधियाँ)। उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियाँ निषिद्ध हैं। अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.3, चित्र 2.4 देखें।

जल स्रोतों के लिए संरक्षण क्षेत्र (बफ़र)

क्षेत्र में जल स्रोतों के चारों ओर आवश्यक बफर क्षेत्र निर्धारित करने के लिए एकसमान दिशानिर्देश स्थापित किए गए हैं। सभी जलाशय और बड़ी नदियाँ पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इमरजेंसी रिजर्व ज़ोन) के बाहर स्थित हैं। जल स्रोतों के लिए संरक्षण क्षेत्र 1328.36 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दिशा–निर्देश इस प्रकार हैं:–

1. बड़ी नदियों और झीलों के उच्च बाढ़ स्तर/पूर्ण टैंक स्तर से कम से कम 50 मीटर की दूरी।
2. तालाबों और नालों जैसे छोटे जल स्रोतों के किनारे से कम से कम 15 मीटर का बफर।

- **तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियाँ–** 20 डिग्री से अधिक की तीव्र ढलानों के संरक्षण के लिए, उस क्षेत्र में केवल कुछ ही गतिविधियाँ अनुमत हैं, जो इस प्रकार हैं–
  1. स्थानीय लोगों को अपने आवासीय उपयोग के लिए अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी।
  2. वर्तमान सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कों का निर्माण।
  3. अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं का निर्माण एवं नवीनीकरण।
  4. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में चल रही विनियमित और प्रोत्साहित गतिविधियों की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त, ढलान वाले क्षेत्रों में अन्य सभी गतिविधियाँ जैसे उद्योग, होमस्टे, नई व्यावसायिक गतिविधियाँ, नए होटल और रिसॉर्ट प्रतिषिद्ध होंगे। अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1. 2.2, खंड 1.2.2.3, चित्र 2.5 देखें।

- **टाईगर कॉरिडोर में विकास के लिए दिशानिर्देश–**

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित बाघ गलियारे में विकास के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार। अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.3, चित्र 2.6 और 2.7 देखें। निम्नलिखित नियम लागू होते हैं–

अ) सभी आबादी भूमि में और उससे 100 मीटर की दूरी तक आवासीय निर्माण की अनुमति होगी।

ब) गैर–आबादी भूमि में, 0.1 के फर्शी क्षेत्रानुपात प्रतिबंध के साथ आवासीय निर्माण की अनुमति है।

स) मार्गों को चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण केवल वन विभाग (वन्यजीव बोर्ड) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।

द) अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण अनुमत है।

इ) टाईगर कॉरिडोर क्षेत्र में किसी भी नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं है।

- **संरक्षित क्षेत्र से 1 किमी की दूरी पर स्थित ढलानी क्षेत्रों में वर्तमान मंदिर निर्माण के लिए दिशानिर्देश–**

संरक्षित क्षेत्र से 1 किमी की दूरी पर और पहाड़ी ढलानों पर स्थित धार्मिक स्थलों के लिए, नियम स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि केवल वर्तमान मंदिर निर्मित क्षेत्र में जीर्णोद्धार/नवीनीकरण के लिए निर्धारित प्रारूप शर्तों के अनुसार ही विकास की अनुमति दी जाएगी। ढलानी क्षेत्रों में स्थित और संरक्षित क्षेत्र से 1 किमी की दूरी पर स्थित धार्मिक स्थलों में किसी भी प्रकार की नई व्यावसायिक संरचना या व्यावसायिक संरचना का विस्तार करने की अनुमति नहीं है।

2.1.1 होटल और रिसॉर्ट के विकास के लिए सुझाए गए दिशानिर्देश

भारत में होटल और रिसॉर्ट का विकास विभिन्न दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है। प्रासंगिक दिशानिर्देशों का संक्षिप्त विवरण और इन प्रतिष्ठानों में की जाने वाली गतिविधियों के लिए आवश्यक कार्य एवं निषेध परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.3. 1 में संलग्न हैं।

2.1.1.1 पचमढ़ी अभयारण्य की स्थिति

संख्या एफ–15–19/2017/10–2 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस अधिसूचना के साथ

संलग्न अनुलग्नक 1.2, धारा 1.2.2 में दी गई तालिका में दर्शाए गए 11 ग्रामों को पचमढ़ी अभयारण्य से बाहर करती है। अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.2, धारा 1.2.2.3.1 देखें। हालांकि, बाहर किए गए ग्रामों पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी–

क) ऐसे बाहर किए गए क्षेत्र में पर्यावरण–पर्यटन को छोड़कर कोई भी खनन या अन्य औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधि अनुमेय नहीं होगी।

ख) बाहर किए गए ग्रामों के लिए उपयुक्त नियम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

2.4 पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयुक्त क्षेत्र

वन और जैव विविधता सतपुड़ा टाईगर रिज़र्व की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इस क्षेत्र में सतपुड़ा टाईगर रिज़र्व के संरक्षित क्षेत्र के कुछ सबसे पुराने वन क्षेत्र हैं, जो वर्षों से वन्यजीवों का निवास स्थान रहे हैं। इस वन में वनस्पतियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय हैं, और कुछ भारत के दक्षिणी और उत्तरी वनों का मिश्रण हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थान निम्नलिखित हैं–

- सामाजिक और कृषि वानिकी (बरधा, धसई, भूराभगत, सांगाखेड़ा, मेहंदीखेड़ा, झिरपा, मटकुली, बरगोंडी, सारंगपुर, मंगरिया और रानीपुर तवानगर)। अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.4.2 देखें।
- जैव विविधता उद्यान (बंधन और दहेलिया, बरगोंडी, पचमढ़ी और मढ़ई) जैसा कि अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.4.3 में दर्शाया गया है।
- वनस्पति उद्यान और वनौषधि उद्यान के प्रस्ताव (सारंगपुर, अलीमोद, पचमढ़ी और संगखेड़ा) जैसा कि अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.4.4 में दर्शाया गया है।
- तितली उद्यान और पुष्प पथ (तवानगर, अलीमोद, पचमढ़ी और डोक्रीखेड़ा) के प्रस्ताव अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.4.5 में पहचाने और उल्लिखित किए गए हैं।

सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के इन वन क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षात्मक अधोसंरचना का प्रस्ताव है। सतपुड़ा टाईगर रिज़र्व में अवैध शिकार को कम करने के लिए, अवैध शिकार की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी गश्त की जानी चाहिए। कैमरे, ड्रोन, थर्मल कैमरे, स्मार्ट कैमरे और अन्य उपयुक्त निगरानी एवं प्रबंधन पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। अवैध शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अलार्म सिस्टम के साथ बाड़बंदी की जानी चाहिए।

==00==

3 विषयगत योजनाएँ

3.1 मृदा नमी व्यवस्था की बहाली और भूमि संरक्षण

पहाड़ियाँ और पर्वत

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व का भूभाग समतल है, लेकिन इसमें ढलानदार भू–भाग भी हैं जो इस क्षेत्र को मनमोहक सुंदरता प्रदान करते हैं। ढलान स्थिरता के लिए सुझाए गए उपाय, जिन्हें संरक्षण उपायों के लिए लागू किया जा सकता है, परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.1.2 में उल्लिखित हैं।

कृषि के माध्यम से संरक्षण

संरक्षण कृषि मृदा प्रबंधन पद्धतियों पर केंद्रित है जो मृदा संरचना, संघटन और जैव विविधता को संरक्षित करती हैं। इसके मूल सिद्धांतों में मृदा आवरण बनाए रखना (फसल अवशेषों या आवरण फसलों का उपयोग करके), न्यूनतम जुताई के माध्यम से मृदा में छेड़छाड़ को कम करना और जैविक चुनौतियों से निपटने के लिए फसल चक्र को लागू करना शामिल है, जैसा कि परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.1.3 में दर्शाया गया है। यह हरी खाद, फसल अवशेषों को न जलाने, एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन, सीमित मृदा का आवागमन और जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों के उपयोग को भी बढ़ावा देता है।

3.2 वर्षा जल संचयन

वर्षा जल संचयन, सतही अपवाह के रूप में बह जाने से पहले, वर्षा जल को सतही या उप–सतही जलभंडारों में एकत्रित और संग्रहित करने की तकनीक है। कुछ सुझाए गए उपाय परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.2 में उल्लेखित हैं।

3.3 अपशिष्ट जल उपचार

अपशिष्ट जल प्रबंधन की कमी के कारण, वर्तमान में सभी घरेलू अपशिष्ट जल को बिना किसी उपचार के सीधे पास के जल स्रोत में बहा दिया जाता है। अपशिष्ट जल को जल निकासी प्रणाली के माध्यम से एकत्रित किया जाना चाहिए और उसका उपचार किया जाना चाहिए, जिसके बाद इसे निकटतम जल स्रोत में बहाया जा सकता है या कृषि गतिविधियों में पुनः उपयोग किया जा सकता है। गाँव की स्थलाकृति के आधार पर, उपचार सुविधा सहित निपटान बिंदुओं के सुझाए गए स्थान परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.3 में दर्शाए गए हैं।

3.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व की समृद्ध जैव विविधता को देखते हुए, अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी उपाय हेतु सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के सभी ग्रामों और नगरों में घरेलू, सामुदायिक और ग्राम स्तरीय ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वर्तमान में, पूरे

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में केवल पचमढ़ी में ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक वैचारिक मॉडल तैयार किया गया है, जैसा कि अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.4, चित्र 3.7 में दर्शाया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत घरेलू स्तर से और होटल/रिसॉर्ट्स से की जानी चाहिए। सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में घर–घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण विधि और जैविक विधियों (एनएडीईपी विधि, वर्मीकंपोस्टिंग और जैविक ठोस अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

3.5 जल आपूर्ति, जल निकासी और वर्षा जल प्रबंधन

आधारभूत भौतिक अधोसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए, ग्रामों की स्थलाकृति और दूरी के आधार पर समूह बनाए जाते हैं। अन्य बस्तियों से 3 किमी से अधिक दूरी पर स्थित ग्रामों में अधोसंरचना सुविधाओं का विकास एक स्वतंत्र ग्राम के रूप में किया जाना चाहिए। भौतिक अधोसंरचना के लिए समूहों और ग्रामों की सूची परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.5, चित्र 3.11 में दर्शाई गई है।

जल आपूर्ति – पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के ग्रामों में जल आपूर्ति के लिए घरों में नल का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जहां नल का कनेक्शन संभव नहीं है, वहां बसाहट क्षेत्र से 100 मीटर के भीतर सामुदायिक स्टैंड पोस्ट या हैंडपंप उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

3.1.1 पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के ग्रामों में स्वच्छता

स्वच्छ भारत मिशन के तहत, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के सभी ग्रामों में अधिकांश घरों में हाल के वर्षों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। इन ग्रामों में घरेलू और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण सतत विकास लक्ष्य 6 (एसडीजी 6): स्वच्छ जल और स्वच्छता को प्राप्त करने में योगदान देगा।

3.6 ग्रामों के लिए सामाजिक अधोसंरचना

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सामाजिक अधोसंरचना एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक अधोसंरचना में शिक्षा सुविधाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, मनोरंजन सुविधाएं आदि शामिल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और हाट बाजार के लिए उपयुक्त स्थान परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.6, चित्र 3.13 में दर्शाए गए हैं।

3.7 वाहन यातायात नियंत्रण

सड़कें ग्रामीण समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाती हैं और आर्थिक विकास में सहायक होती हैं। वर्तमान में, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के 56 प्रतिशत ग्रामों में कच्ची सड़कें हैं और 55 प्रतिशत निजी परिवहन का उपयोग करते हैं। संयोजकता में सुधार के प्रस्तावों में 71.56 किमी सड़कों का चौड़ीकरण और 101.88 किमी नई सड़कों का निर्माण शामिल है, इसके साथ ही वन्यजीव मार्ग, गति नियंत्रण और शांति क्षेत्र

जैसे संरक्षण उपाय भी शामिल हैं ताकि जानवरों और मनुष्यों दोनों की सुरक्षा की जा सके। अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.3, अनुभाग 1.2.3.7 देखें।

3.7.1 मार्ग चौड़ीकरण और सुधार का प्रस्ताव

सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकांश लोगों की यात्रा संबंधी ज़रूरतें बाज़ार, शिक्षा केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचने में पूरी होती हैं। इसके अतिरिक्त, ये संपर्क संभावित स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। सभी क्षेत्रों में अच्छी सड़क सम्पर्क सुविधा है, और वर्तमान और प्रस्तावित सड़कों की लंबाई का विवरण तालिकाओं और मानचित्रों में दिया गया है, अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.7.1, चित्र 3.16 देखें।

सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र में प्रस्तावित नई सड़कों की कुल लंबाई 94.26 किमी है और 255.04 किमी मार्गों का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। प्रस्तावित चौड़ीकरण और नई प्रस्तावित सड़क वन विभाग के निर्णय/पूर्व अनुमति और एनटीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

3.7.2 बस स्टॉप का प्रस्ताव

स्थानीय समुदायों और पर्यटन के लिए संयोजकता और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए, पूरे पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र की सेवा के लिए प्रमुख केंद्र और विकास खण्ड मुख्यालय मटकुली में एक बस स्टॉप का प्रस्ताव है।

3.7.3 संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रस्ताव

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में विविध प्रकार की वनस्पति और जीव–जंतु पाए जाते हैं, लेकिन सड़क तंत्र और यातायात के विस्तार से वन्यजीव–मानव संघर्ष बढ़ सकता है। इसे कम करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और भारतीय वन्यजीव संस्थान के दिशानिर्देशों के अनुरूप भौतिक एवं नीतिगत उपाय प्रस्तावित किए गए हैं, जो मानव और प्रकृति की रक्षा करेंगे। सतपुड़ा टाईगर रिजर्व को वन उपस्थिति, वन्यजीव उपस्थिति, पर्यटन स्थलों और हरित गलियारों के आधार पर पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.7.3 देखें।

1. **वन क्षेत्रः** इस क्षेत्र में आरक्षित वन शामिल हैं, जहां वन्यजीवों की आवाजाही और उपस्थिति देखी जा सकती है। यह वन क्षेत्र पेंच और मेलघाट के लिए हरित गलियारे का काम करता है। यह क्षेत्र वन्यजीवों की आवाजाही के कारण से संवेदनशील है। इस क्षेत्र में धसाई, केलीपुंजी, भाटोडी, डंडालम, दुंडी, आन्होनी, रानीपुर (तवानगर), चिचा, चटुआ, दाउदी, झुनकर, कोटमी, मरुआपुरा, लाडेमा और बरधा शामिल हैं।
2. **वन एवं पर्यटन क्षेत्रः** इस क्षेत्र में वन क्षेत्र तो है ही, साथ ही यह वर्तमान और प्रस्तावित पर्यटन स्थलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के दक्षिण में स्थित बरूथ, छटियाम, कुराई, अलीमोद, अंजंधना और बंधन इस क्षेत्र में आते हैं। मढाई क्षेत्र

में स्थित खरपवाड़, पथाई, मंगारिया, उरदोन, घोगरी, टेकापर चौरमढ़ी, सारंगपुर, कामती और सेहरा भी इस क्षेत्र में शामिल हैं, जहां वन्यजीवों की आवाजाही देखी जा सकती है।

3. **कृषि क्षेत्रः** इस क्षेत्र में केवल कृषि ही होती है और वन क्षेत्र बहुत कम है, साथ ही जंगली जानवरों की उपस्थिति भी बहुत कम है। संगी, मुहरिकाला, चोका, डोक्रीखेड़ा, माधो, बोरी, रैतवारी, अमादेह, घोगरी मठ, नायग्राम और महाराजगंज में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र है और वन क्षेत्र बहुत कम है। दक्षिणी सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में, बिजोरी, संगखेड़ा, कुंडाईधाना, निशान, उमरदोले, बेलखेड़ी और लुखाधाना में सबसे अधिक कृषि भूमि है और वन क्षेत्र कम है।

4. **मटकुली और पचमढ़ी क्षेत्रः** तीन तरफ से संरक्षित क्षेत्र होने के कारण, मटकुली समूह में जंगली जानवरों की उपस्थिति के साथ–साथ यातायात भी होता है। पचमढ़ी से संयोजकता और वाणिज्यिक विकास के प्रस्ताव के कारण भी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में पिसुआ, बिंदाखेड़ा, मेहंदीखेड़ा, मल्ली, मटकुली, छिल्लोद, मोहग्राम, खारी, चिरई, टेकापार, करेर, नवाटोला, खांचारी, झिरपा, फिफेरी, आदिटोरिया और नेक्सा जैसे ग्राम शामिल हैं।

3.7.4 संकेत

पशु दुर्घटनाओं से बचने के लिए, सड़क पर संकेत लगाना अनिवार्य है ताकि चालकों को चेतावनी दी जा सके। इससे चालकों को उस मार्ग पर सतर्क रहने में मदद मिलेगी।

1. **वन क्षेत्रः** इस क्षेत्र में अक्सर संकेत लगाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इन क्षेत्रों में पशुओं की उपस्थिति और आवाजाही होती है। सड़क के किनारे प्रत्येक 2 किमी की दूरी पर संकेत लगाए जाने चाहिए। गति सीमा और पशु–संबंधी संरचनाओं के लिए भी उचित दूरी पर संकेत लगाए जाने चाहिए।
2. **वन और पर्यटन क्षेत्रः** इस क्षेत्र में चेतावनी के लिए प्रत्येक 2 किमी पर और पशु–मार्ग संरचनाओं पर संकेत लगाने का प्रस्ताव है।
3. **कृषि क्षेत्रः** जंगली सूअरों को छोड़कर कृषि क्षेत्रों में पशुओं की उपस्थिति न्यूनतम होती है। इस क्षेत्र में संकेत केवल मुख्य सड़कों पर 5 किमी की दूरी पर लगाए जाने चाहिए।
4. **मटकुली और पचमढ़ी क्षेत्रः** मटकुली, पचमढ़ी और आसपास के क्षेत्रों में बंदरों की संख्या अधिक है। इस क्षेत्र में प्रत्येक 1 किमी की दूरी पर संकेत विकसित किए जाने चाहिए और रात में शांति क्षेत्र के लिए संकेत लगाए जाने चाहिए।

3.7.5 गति अवरोधक

वन्यजीव सुरक्षा बढ़ाने और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में वाहन संबंधी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व अधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुसार, वाहनों की गति को

नियंत्रित करने हेतु गति अवरोधक, हंप और रंबल स्ट्रिप्स प्रस्तावित हैं, विशेष रूप से वन और बसाहट क्षेत्रों में। क्षेत्रवार प्रस्ताव परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.7.5 में दर्शाए गए हैं।

3.7.6 बाड़ लगाना

बाड़ को संपूर्ण रैखिक अधोसंरचना के साथ विकसित किया जा सकता है या केवल ज्ञात पशु पारगमन क्षेत्रों के बीच विकसित किया जा सकता है।

3.7.7 वन्यजीव मार्ग

वन्यजीव मार्ग के लिए सुझाई गई संरचनाओं में सुरंगें या अंडरपास शामिल हैं जो स्थानीय प्रजातियों के लिए उपयुक्त हों।

- **प्राकृतिक मार्गः** कच्ची/छोटी सड़कों पर पेड़ों की घनी छाया वृक्षीय प्रजातियों को सहारा देती है। छोटे जानवरों की आवाजाही के लिए वर्तमान प्राकृतिक मार्गों को बढ़ावा दें और सड़कों के किनारे हर 100–200 मीटर पर वनस्पति के विकास को प्रोत्साहित करें।
- **अंडरपासः** सुरंगें, बॉक्स कल्वर (स्थलीय प्रजातियों के लिए 3.5 मीटर की ऊंचाई और किनारों सहित) और पाइप संरचनाएं (<1.5 मीटर व्यास) स्थलीय और जलीय प्रजातियों (मेंढक, कछुए, छोटे स्तनधारी) के आवागमन को सुगम बनाती हैं। किनारों पर देशी वनस्पति का होना, जानवरों के द्वारा इनके उपयोग को बढ़ाता है।
- **ओवरपास/फ्लाईवेः** किनारों पर झाड़ियों/पेड़ों से ढके हुए कैनोपी ब्रिज (खंभे, रस्सियां, लकड़ी की सीढ़ियां) वृक्षों पर रहने वाली प्रजातियों (बंदर, गिलहरी) के लिए सहायक होते हैं।

पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र में प्रस्तावित वन्यजीव मार्ग संरचनाएं परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.7.7 में दर्शाई गई हैं।

3.7.8 शांति क्षेत्र

संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किमी के भीतर के शांति क्षेत्र क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जिसमें दिन के समय अनुमेय ध्वनि स्तर 50 डेसीबल और रात के समय 40 डेसीबल होना चाहिए। संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किमी से आगे के संपूर्ण पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए, ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार, अनुमेय ध्वनि स्तर दिन के समय 65 डेसीबल और रात के समय 55 डेसीबल तक सीमित होना चाहिए। संरक्षित क्षेत्र और बफर जोन में पशुओं के आवास और आवागमन को संरक्षित करने के लिए सतपुड़ा टाईगर रिजर्व की संरक्षित क्षेत्र सीमा से 1 किमी के भीतर शांति क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

3.7.9 नियामक आधारभूत संरचना

पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में कई अधिनियम, अधिसूचनाएं और नियम एवं विनियम कानूनी आधारभूत संरचना का हिस्सा हैं। सड़कों और अन्य अधोसंरचनाओं के लिए संबंधित अधिनियम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और ईआईए अधिसूचना, 1994 हो सकते हैं। ये दोनों अधिनियम वन मंजूरी देने और कार्यान्वयन के लिए निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3.8 संसाधन दोहन का प्रबंधन

सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य जल, पेड़–पौधे, पशु–पक्षी और अन्य कई प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र से प्राकृतिक संसाधनों का निकासी वर्जित है और इसे अवैध गतिविधि घोषित किया गया है। स्थानीय समुदाय की आजीविका के लिए लागू वन कानून के तहत कुछ सीमाओं तक लघु वन उपज का संग्रह अनुमत है। संसाधन निकासी पर आधारित वर्जित और विनियमित गतिविधियाँ अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.3, धारा 1.2.3.8 में दी गई हैं।

3.9 खतरनाक और जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन

पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक (रिसायकलेबल) अपशिष्ट का पृथक्करण ग्राम या समूह स्तर के संग्रह केंद्र पर किया जाना चाहिए और प्लास्टिक का विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है या इसे पुनर्चक्रणकर्ता (रिसायक्लर) को बेचा जा सकता है जिससे राजस्व प्राप्त हो सके। क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्र में एकल–उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

अजैविक अपघटनीय, जैव–चिकित्सा संबंधी और खतरनाक अपशिष्टों को पूरे ग्राम के लिए अलग–अलग डिब्बे में एकत्र किया जाना चाहिए और उन्हें निकटतम अपशिष्टि निपटान स्थल पर ले जाया जाना चाहिए। चूंकि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है, इसलिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रें किसी भी अपशिष्टि निपटान स्थल का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

3.10 सतही और भू–जल निकासी

सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र में सतही जल का निकासी/भंडारण वर्जित है। इन आवश्यकताओं के संरक्षण के लिए, अध्ययन क्षेत्र में भू–जल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए अनिवार्य उपाय लागू करना उचित है।

3.11 जल स्रोत संरक्षण

डेनवा और तावा जैसी नदियाँ और कई धाराएँ संरक्षित क्षेत्र से होकर बहती हैं, जो पशुओं और ग्रामीणों के लिए जल का संभावित स्रोत हैं। इस क्षेत्र में तावा जलाशय और दोकरीखेड़ा सतही जल के विशाल संभावित भंडार हैं। इस क्षेत्र में लगभग 1200 मिमी वर्षा होती है, लेकिन ढलान अधिक होने के कारण जल का भंडारण या उपयोग करने में कठिनाई होती है

क्योंकि यह अपवाह के रूप में बह जाता है। जल संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयुक्त पद्धतियों का पालन करते हुए संरक्षण उपायों पर नीचे चर्चा की गई है।

सतही जल

सतही जल स्रोतों और उनके आसपास के वातावरण को संरक्षित रखने के लिए, जल स्रोतों के लिए एक बफर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। यह बफर बाढ़ से निपटने में भी सहायक है और जल स्रोतों के आस पास के क्षेत्र में भू–जल स्तर को बेहतर बनाता है, जैसा कि अनुलग्नक 1. 2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.10.1 में दर्शाया गया है।

जलाशय

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में रानीपुर–तवानगर ग्राम के पास स्थित तवा जलाशय नामक एक जलाशय है। तवा जलाशय को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो दिनांक 24–08–2024 को रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को दिया गया पदनाम है। यह स्थानीय समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में कार्य करता है और क्षेत्र में जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलाशय की आर्द्रभूमि बाढ़ नियंत्रण, भू–जल पुनर्भरण और जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.10.1 में दर्शाए अनुसार देखें। तवा जलाशय के आसपास विनियमित गतिविधि आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अनुसार लागू होती है।

भू–जल

अधिकांश ग्रामों में भू–जल स्तर घट रहा है। भू–जल पुनर्भरण के कुछ सुझावात्मक तरीके परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.10.2 में उल्लिखित हैं और वाटरशेड प्रबंधन मानचित्र चित्र 3.27 में दर्शाया गया है।

3.12 जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन विकसित करना

कोयला, पेट्रोल, डीजल और लकड़ी जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे वन क्षेत्र और पशु आवासों का क्षय हो सकता है। चूंकि सतपुड़ा टाईगर रिजर्व का अधिकांश भाग वन क्षेत्र से आच्छादित है, इसलिए यहां बड़ी संख्या में पवन ऊर्जा इकाइयां स्थापित करना संभव नहीं है। अतः, सौर ऊर्जा और बायोगैस पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता को कम करने में कुछ हद तक सहायक हो सकते हैं।

3.12.1 प्रदूषण रहित परिवहन को बढ़ावा देना

वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के प्रमुख पर्यटन स्थल पचमढ़ी में ई–बाइक और साइकिल जैसे वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों को शुरू करने का प्रस्ताव है। स्थानीय परिवहन विकल्पों की सीमित उपलब्धता, विशेष रूप से दिसंबर में लोकप्रिय पचमढ़ी उत्सव के दौरान, ई–वाहनों को

किराए पर उपलब्ध कराने से पर्यटकों के लिए आंतरिक परिवहन में सुधार होगा। अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.11.1, चित्र 3.28 देखें।

3.12.2 सौर ऊर्जा

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के ग्रामों में सौर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे खेतों में जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए सौर जल पंप का उपयोग, विद्यालयों और अन्य शास्कीय भवनों में छतों पर सौर पैनल, ग्रामों में सौर स्ट्रीटलाइट, छोटे वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग आदि।

3.12.3 बायोगैस

बायोगैस एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ विकल्प प्रदान करती है। इसमें गाय के गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है, जो पशुधन वाले अधिकांश घरों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। घरेलू या सामुदायिक स्तर पर बायोगैस संयंत्र स्वास्थ्य में सुधार, प्रदूषण में कमी और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सफल होते हैं। अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.11.4 देखें।

3.12.4 रात्रि आकाश का संरक्षण

रात्रि आकाश के विश्लेषण को बोर्टल नाईटस्काई स्केल द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो अंधेरे रात्रि आकाश की गुणवत्ता और उपयुक्तता का आकलन करता है। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य का अधिकांश भाग पैमाने–3 के अंतर्गत आता है, जो एक ग्रामीण आकाश क्षेत्र को दर्शाता है। सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के कुछ दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र डार्कस्काई रिज़र्व के लिए योग्य हो सकते हैं, क्योंकि वे पैमाने–2 से पैमाने–3 आकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। हालांकि, पचमढ़ी, जहां बड़ी जनसंख्या है, वहां रात में भी आकाश उज्ज्वल रहता है, जो उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण है। इसे देखते हुए, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के डार्कस्काई रिज़र्व के लिए आवेदन कर सकता है, जैसा कि अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.11.5, चित्र 3.32 में दर्शाया गया है।

3.12.5 प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

सतपुड़ा का यह घना जंगल क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने और हवा को स्वच्छ रखने में सहायक है।

- **पीयूसी केंद्र की स्थापनाः** वायु प्रदूषण की निगरानी केवल पचमढ़ी और तवानगर तक ही सीमित है। तवानगर में वायु प्रदूषण की नियमित निगरानी नहीं होती है। पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, कुल 7 पीयूसी केंद्रों का प्रस्ताव है, जैसा कि अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.3, खंड 1.2.3.11.6, चित्र 3.33 में दर्शाया गया है।
- **जल प्रदूषण के उपायः** जल प्रदूषण मापन के लिए नमूने नियमित अंतराल पर अलग–अलग स्थानों से एकत्र किए जाएंगे। यह सुझाव दिया जाता है कि वर्षा से कम

से कम एक वर्ष पहले और बाद में नियमित रूप से नमूने एकत्र किए जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए। ये नमूने जलप्रपात स्थलों, झीलों, नदियों, बस्तियों के आस–पास के क्षेत्रों, प्रस्तावित शिविर स्थलों और आवास, जलाशयों और तालाबों से लिए जाने चाहिए।

- **ध्वनि प्रदूषण के उपायः** ध्वनि प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, संरक्षित वन क्षेत्र के 1 किमी परिधि में शांति क्षेत्र का प्रस्ताव है ताकि संरक्षित क्षेत्र में जानवरों के आवास और आवागमन को संरक्षित किया जा सके (चित्र 3.34)।

==00==

4 आजीविका से संबंधित विषय

4.1 हितधारकों से परामर्श

चरणबद्ध आधारभूत आकलन के भाग के रूप में, समूह–4 पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए आंकडा संग्रहण में प्राथमिक आंकड़ा शामिल था, जिसे अधिकारियों, ग्रामीणों आदि के विशेषज्ञ और हितधारक परामर्श द्वारा पूरक बनाया गया था। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले लोग हितधारक हैं, जैसे निवेशक, ग्रामीण, संबंधित शास्कीय विभाग आदि। हितधारकों से परामर्श नियोजन प्रक्रिया का एक प्रमुख हिस्सा है, जैसा कि अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.4, खंड 1.2.4.1 में दर्शाया गया है।

4.2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था

सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के पाँच मुख्य स्तंभ हैं, अर्थात् कृषि, तसर खेती, वन, पशुपालन और पर्यटन। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा कृषि है। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले गाँव मुख्य रूप से आदिवासी गाँव हैं और सभी गाँव वन के निकट स्थित हैं। ये लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वन उत्पादों पर निर्भर हैं और परंपरागत रूप से वन उत्पाद (एमएफपी) इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। इसके अतिरिक्त, घने वन क्षेत्र और बाघ अभ्यारण्य के कारण यह क्षेत्र एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। साथ ही, मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी साल भर पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना रहता है। पशुपालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। गाँवों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने से संबंधित जानकारी परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.4, खंड 1.2.4.2 में दी गई है।

4.3 पर्यावरण विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना

विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का अच्छा–खासा योगदान है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों जैसे मृदा संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में सतत कृषि, समग्र ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है। पवित्र नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों से घिरा सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य समृद्ध कृषि भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य की मिट्टी उथली काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी है। सतपुड़ा पठार और मध्य नर्मदा घाटी के कुछ हिस्सों में स्थित है। इसलिए, मिट्टी के प्रकार के कारण वर्तमान में इस क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें गेहूं, मक्का और सोयाबीन हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक फसल है। कोदो बाजरा और कुटकी बाजरा में सूखा प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो कि शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और गरीबों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकती है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जैसा कि परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.4, खंड 1. 2.4.3 में दर्शाया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में मधुमक्खी पालन, तसर विकास, कृषि

वानिकी, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इनके बारे में विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.4, अनुभाग 1.2.4.3.1 – 3.4 में दी गई है।

पारंपरिक फसलें

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक फसल है। यह फसल आदिवासी जीवन और उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रथाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के गोंड और बैगा जनजातियों के ग्रामों में कोदो और कुटकी बाजरा पारंपरिक भोजन है। ये बाजरा हजारों वर्षों से इन जनजातियों का मुख्य भोजन रहा है।

पारंपरिक फसल केंद्र पचमढ़ी/मटकुली/विकास खण्ड मुख्यालय में स्थापित किया जाएगा और इसका नेतृत्व कृषि विभाग के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी करेंगे। अधिकारी सभी ग्रामों के सरपंचों, अर्द्धशासकीय संगठनों, निजी क्षेत्रों और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन/ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारियों के सीधे संपर्क में रहेंगे।

जैविक खेती में जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों का संवर्धन– मुख्य बिंदु

निशान समूह देनवा नदी के तट पर स्थित है और इस समूह से होकर कई प्राकृतिक धाराएँ गुजरती हैं जो देनवा नदी में मिल जाती हैं। निशान समूह के माध्यम से कोदो और कुटकी बाजरा का संवर्धन भी किया जा सकता है। पर्यटकों को कोदो और कुटकी बाजरा से बने विभिन्न खाद्य उत्पाद परोसे जा सकते हैं, जिससे उनका अनुभव और भी बेहतर होगा। हाट बाजार संगखेड़ा में है, जो निशान से लगभग 18 किमी दूर है। यह सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के सबसे बड़े हाट बाजारों में से एक है। संगखेड़ा में कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए एक गोदाम का भी प्रस्ताव है। निशान समूह– कृषि विकास के लिए प्रस्तावित मॉडल समूह– परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.4, खंड 1.2.4.3, चित्र 4.4 में दर्शाया गया है।

तसर विकास

सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन गाँव हैं जहाँ तसर और शहतूत रेशम उत्पादन की गतिविधियाँ होती हैं: दोकरीखेड़ा, छर्रई और मटकुली। मटकुली और छिर्राई गाँवों में रीलिंग केंद्र की सुविधा उपलब्ध है। इस क्षेत्र में तसर और शहतूत रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है और अधिक रेशम केंद्र विकसित किए जा सकते हैं, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। दोकरीखेड़ा, चोका, माधो, बोरी, रैतवाड़ी, अमादेह, घोघरी माथा और महाराजगंज गाँव तसर और शहतूत की खेती के लिए क्रमशः मध्यम रूप से उपयुक्त और कम उपयुक्त माने जाते हैं। तसर और शहतूत की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.4, खंड 1.2.4.3.2 में दर्शाया गया है।

4.4 कृषि उद्योग

कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिनका कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग और कृषि को सहयोग देने वाले उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.4, खंड 1.2.4.4 देखें।

4.5 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से घरेलू उद्योग–

कृषि उद्योग और किसानों के बीच संबंध विकसित करने में सार्वजनिक क्षेत्र, अर्द्धशासकीय संगठन और निजी उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस भूमिका में किसानों को संगठित करना, अर्द्धशासकीय संगठनों या निजी उद्यमों को उन जिम्मेदारियों को संभालने में सहायता करना शामिल हो सकता है जो पहले राज्य द्वारा निभाई जाती थीं, साथ ही ऋण प्रदान करना, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी प्रदान करना और अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करना भी शामिल है। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र, अर्द्धशासकीय संगठन और निजी उद्यमी कृषि उद्योग और किसानों के बीच लाभकारी संबंध स्थापित करने में प्रत्यक्ष रूप से और कृषि एवं गैर–कृषि क्षेत्रों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से अन्य संबंध स्थापित करने में सहायता कर रहे हैं।

घरेलू उद्योग मुख्यतः कच्चे माल या संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। घरेलू उद्योग संसाधन–आधारित उद्योगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में घरेलू उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। जैसा कि ऊपर के विषयों में उल्लेख किया गया है, इस क्षेत्र में कई वन उत्पाद और कृषि उत्पाद उपलब्ध हैं। इनका कच्चे माल के रूप में उपयोग करके घरेलू उद्योग विकसित किए जा सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करेंगे और समुदाय के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लिए, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ शास्कीय योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसा कि परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.4, खंड 1.2.4.4.1 में दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, ग्रामों में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दोनों ही अर्द्धशासकीय संगठनों और अन्य निजी क्षेत्रों के सहयोग से पैकेजिंग, विनिर्माण और अन्य प्रकार के उद्योगों के लिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अर्द्धशासकीय संगठन और अन्य निजी क्षेत्र ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्रों के विकास खण्ड प्रबंधकों की देखरेख में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं।

4.6 कृषि आधारित पर्यटन

यह पारिस्थितिक पर्यटन का एक भाग है क्योंकि यह प्राकृतिक आकर्षणों से संबंधित और उन पर आधारित है। दोनों को पर्यटन के तीव्र विकास के रूपों के रूप में वर्णित किया गया

है। ये रूप विकसित देशों में अधिक स्पष्ट हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों के संभावित विकास और स्थानीय समाज के आर्थिक समर्थन के मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.4, खंड 1.2.4.4.2 देखें।

कृषि आधारित पर्यटन का प्रभाव इसी से समझा जा सकता है कि गतिविधि को समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। पर्यटन और पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध है, जो निम्नलिखित कारकों पर आधारित है–

- पर्यावरणीय तत्व जिन्हें पर्यटन आकर्षण माना जाता है।
- सुविधाएं और पर्यटन अधोसंरचना।
- पर्यटन विकास और पर्यटकों के उपयोग से पर्यावरण और बस्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव।

ग्रामीण क्षेत्रों में, किसान अक्सर आय बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में काम करते हैं, क्योंकि केवल कृषि से होने वाली आय पर्याप्त नहीं होती। पर्यटन की बढ़ती मांग आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है, और पर्यटक अनूठे अनुभवों की तलाश में कृषि पर्यटन को तेजी से अपना रहे हैं। कृषि पर्यटन कृषि गतिविधियों को पर्यटन के साथ जोड़ता है, जिससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार करने के नए अवसर मिलते हैं। यह जनता को कृषि के बारे में शिक्षित करता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करके शहरीकरण को कम करता है, और प्रत्यक्ष विपणन के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करता है और राजस्व बढ़ाकर, रोजगार सृजित करके, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आदान–प्रदान को बढ़ावा देकर और स्थानीय आधारभूत संरचना में सुधार करके ग्रामीण विकास में योगदान देता है।

==00==

5 पारिस्थितिकी पर्यटन, व्याख्या और संरक्षण शिक्षा– उप–क्षेत्रीय (सब ज़ोनल) पर्यटन विकास योजना

मध्य प्रदेश ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों से लेकर प्राकृतिक आकर्षणों और वन्यजीव स्थलों तक, विविध प्रकार के पर्यटन अनुभव प्रदान करता है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य उच्चभूमि का हिस्सा है, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भूदृश्य, विविध प्रकार के वनस्पतियों और जीवों की उपलब्धता, प्राचीन धार्मिक स्थल और शैलचित्र शामिल हैं। मध्य प्रदेश में एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की अपार क्षमता है, जो प्रत्येक पर्यटक को कुछ न कुछ प्रदान करता है।

5.1 ईको सेंसिटिव ज़ोन में वर्तमान पर्यटन सुविधाएं और संपत्तियां

मढई और पचमढ़ी सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। पचमढ़ी की प्राकृतिक सुंदरता साल भर पर्यटकों को आकर्षित करती है, जबकि मढई के घने जंगल और विविध वन्यजीव एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव प्रदान करते हैं। आवास जैसी पर्यटन अधोसंरचना को परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2.5.1, चित्र 5.1 में दर्शाया गया है। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग की संपत्तियों को चित्र 5.2 में दर्शाया गया है।

कई स्थानों और क्षेत्रों को पर्यटन स्थलों और पर्यटन गतिविधियों के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों और प्रस्तावों को क्षेत्र के प्रारूप विश्लेषण, हितधारकों के परामर्श और स्थलों की क्षमता के आधार पर चिन्हित और प्रस्तावित किया गया है।

5.2 पर्यटन क्षेत्र

सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य में पर्यटन फलता–फूलता है और इसमें कई ऐसे संभावित स्थल हैं जिन्हें अभी तक अनछुए पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य को 5 पर्यटन क्षेत्रों और 9 समूहों में विभाजित किया गया है, जैसा कि परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2.5.3, चित्र 5.5 में दर्शाया गया है। पर्यटन क्षेत्रों का निर्माण क्षेत्र की प्राथमिक पर्यटन गतिविधियों के आधार पर किया गया है; अन्य पर्यावरण–पर्यटन गतिविधियाँ क्षेत्र में सहायक गतिविधियों के रूप में होंगी।

सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य में पर्यटन फलता–फूलता है और इसमें कई ऐसे संभावित स्थल हैं जिन्हें अभी तक अनछुए पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। पर्यटन स्थलों, क्षेत्र का विवरण और क्षेत्र में प्राथमिक पर्यटन के आधार पर इसे पर्यटन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों को आगे पर्यटन समूहों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रस्तावित गतिविधियाँ या वर्तमान गतिविधियों में वृद्धि शामिल हैं।

5.2.1 वन्यजीव पर्यटन क्षेत्र

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में मढई, चूरना, मल्लुपुरा और पानारपानी में प्रमुख वन्यजीव सफारी हैं, जबकि परसपानी जमनीदेव, बरगोंडी, तामिया और देलाखरी क्षेत्रों में बफर वन्यजीव सफारी

चल रही है। परसपानी समूह में, मंगारिया और सारंगपुर ग्रामों में वन और वन के इतिहास के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक व्याख्या केंद्र और प्रकृति संग्रहालय प्रस्तावित किया जाना चाहिए। बरगोंडी समूह में ऊबड़–खाबड़ भूभाग है जो साहसिक गतिविधियों के साथ–साथ प्रकृति की सैर के लिए भी उपयुक्त है। संरक्षित क्षेत्र में 1 किमी की दूरी पर संगम कुंड है, जिससे बरगोंडी तक एक प्रकृति पथ प्रस्तावित है। विवरण अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1. 2.5, खंड 1.2.5.3.1 में दिया गया है।

5.2.2 पर्यावरण–पर्यटन क्षेत्र

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में धसाई समूह, बंधन समूह और पिसुआ समूह के क्षेत्र में पर्यावरण–पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। पर्यावरण–पर्यटन क्षेत्रों में पैदल यात्रा और कैम्पिंग के साथ प्रकृति पथ, पक्षी अवलोकन और प्रकृति अन्वेषण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित पर्यावरण–पर्यटन क्षेत्र और समूह अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.5, अनुभाग 1.2.5.3.2 में दर्शाए गए हैं।

5.2.3 पर्यटन गतिविधि क्षेत्र

दोकरीखेड़ा बांध और तवानगर में नौका विहार, अस्थायी बाजार, उद्यान और पिकनिक स्थल, फूलों का बगीचा आदि जैसी कई मनोरंजन गतिविधियों का प्रस्ताव है। इस स्थान में सप्ताहांत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की क्षमता है। प्रस्तावित मनोरंजन पर्यटन क्षेत्र अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2.5.3.3 में दर्शाए गए हैं।

5.2.4 ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र

इस क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। निशान ग्राम में एक थीम आधारित सांस्कृतिक उद्यान का प्रस्ताव है, जिसमें पर्यटक विभिन्न सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आदिवासी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2.5.3.4 में दर्शाया गया है।

5.2.5 प्रकृति पर्यटन क्षेत्र

सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य भारत का जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव–जंतु, उपयुक्त भूदृश्य, नदियाँ और धाराएँ पाई जाती हैं। उच्च ऊंचाई और भूदृश्य के कारण सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य की प्राकृतिक सुंदरता का मुख्य अनुभव पचमढ़ी से किया जा सकता है। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य का एक अन्य मार्ग बरूथ और अलीमोद है, जो घने जंगलों से घिरे विविध भू–दृश्यों के बीच स्थित हैं। प्रकृति पर्यटन क्षेत्रों का विवरण परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2.5.3.5 में दिया गया है।

5.3 पर्यावरण अनुकूल सामग्री और स्थानीय वास्तुकला के उपयोग के लिए सुझावात्मक उपाय

पर्यावरण पर्यटन क्षेत्र में होटलों और रिसॉर्ट्स के निर्माण या उन्नयन के लिए सुझाए गए उपायों में पर्यावरण अनुकूल, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग शामिल है। इन सामग्रियों में मिट्टी की ईंटें, मिट्टी से बनी ईटें, पुनर्चक्रित कांच, पुनर्चक्रित प्लास्टिक और पौधों से बनी छतें शामिल हैं, जैसा कि परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2.5.3.8 में विस्तार से बताया गया है।

सतपुड़ा के आसपास के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र होटलों में स्थानीय वास्तुकला को सम्मिलित करने से आधुनिक सुविधाओं को स्थानीय विरासत और पारिस्थितिक संतुलन के साथ मिलाकर पर्यावरण के अनुकूल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। चिन्हित पर्यटन स्थलों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, पर्यटन क्षेत्रों और उनके समूहों के आधार पर विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसा कि परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2.5.3.8 में बताया गया है।

5.4 चिन्हित पर्यटन स्थलों में पर्यटन गतिविधियों का संवर्धन

5.4.1 प्रकृति पथ

प्रकृति पथ वनों में पैदल चलकर प्रकृति का अन्वेषण करने, वनस्पतियों और जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और वनों में घूमने का अनुभव प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में बहुत घना और जैव विविधता से भरपूर वन है। प्रस्तावित प्रकृति पथ बरगोंडी, सतधारा, बंधन–दहेलिया, अलीमोद और धसाई के लिए हैं। सभी स्थानों में वन और जल निकाय दोनों की सुविधा उपलब्ध है। सभी स्थान अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2. 5.4.1 में दर्शाए गए हैं।

5.4.2 कैम्पिंग, साहसिक गतिविधियाँ, ग्रामीण पर्यटन और शाम की सफारी

कैम्पिंग नदियों, पहाड़ों और वन्यजीवों के बीच प्रकृति का एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। रानीपुर, दोकरीखेड़ा, बरगोंडी, दहेलिया, बंधन, निशान, कुर्राई और बुरथ जैसे संभावित कैम्पिंग स्थलों को अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2.5.4.2 में दर्शाया गया है।

बरगोंडी, सारंगपुर, मंगारिया, बरूथ और चौरासी बाबा मंदिर क्षेत्र में साहसिक गतिविधियों का प्रस्ताव है। ये गतिविधियाँ मुख्य रूप से वन आधारित साहसिक गतिविधियाँ हैं। मढई और मंगारिया समतल भूभाग पर स्थित हैं, जबकि बरगोंडी और चौरासी बाबा पहाड़ी भूभाग पर हैं। इन क्षेत्रों को आवश्यक आधारभूत सरंचना के साथ साहसिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, जैसा कि परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2.5.4.3 में दर्शाया गया है। इन गतिविधियों में एटीवी राइडिंग, बर्मा ब्रिज, साइकिलिंग, मल्टी वाइन, लैडर क्लाइम्बिंग, रिवर राफ्टिंग, बोट क्यौइंग और ह्यूमन स्लिंगशॉट आदि शामिल हैं।

ग्रामीण पर्यटन अपने क्षेत्र की विशेषता रखता है; यहाँ के भोजन, उत्पाद और परिदृश्य पीढ़ियों से विकसित हुए हैं, जो आगंतुकों के लिए प्रामाणिक और आकर्षक अनुभव बनाने के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे स्थानीय समुदाय अपनी संस्कृति का जश्न मना सकें और उस पर गर्व कर सकें।

देर शाम की सफारी घने जंगलों में रात के समय एक रोमांचक अनुभव प्रदान करती है। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य में बरगोंडी, जमनीदेव और पारसापानी क्षेत्रों में देर शाम की सफारी चल रही है। तारामंडल देखने के लिए प्रस्तावित स्थान चौरासीबाबा मंदिर, पथाई, बरगोंडी, हांडी खो और पचमढ़ी हैं, जैसा कि अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2.5.4.4 में दर्शाया गया है।

चौरासीबाबा और हांडी खो ऊँचाई पर स्थित हैं और देर शाम के आकाश के साथ–साथ सतपुड़ा पर्वतमाला का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। पथाई और बरगोंडी सफारी का हिस्सा हैं, जो वन्यजीवों का अनुभव और तारामंडल देखने के साथ–साथ देर शाम की जंगल सफारी प्रदान करते हैं। कुरई सतपुड़ा पर्वतमाला की गोद में स्थित है, जो प्रकृति के साथ सीधा संपर्क और तारामंडल देखने के साथ–साथ कैंपिंग का अवसर प्रदान करता है।

5.5 पर्यटन स्थलों का संरक्षण

पर्यटन स्थलों में रानीपुर के पास रानी की सीढ़ीदार कुआँ, करेर के पास अर्जुन गुफा, महादेव गुफा के पास दो शिलाचित्र और पचमढ़ी में बागम महल जैसी प्राचीन धरोहर संरचनाएँ हैं। ये स्थल जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं और इन्हें जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इन मानव निर्मित धरोहर स्थलों का जीर्णोद्धार और संरक्षण पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय संचालनालय द्वारा किया जाएगा।

5.6 कम प्रभाव वाली पर्यटन गतिविधियाँ

कम प्रभाव वाली पर्यटन गतिविधियों का उद्देश्य पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना और सतत यात्रा को बढ़ावा देना है। इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास जैव विविधता, वन्यजीव आवासों और पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा और संरक्षण के लिए नामित किया गया है। कुछ कम प्रभाव वाली पर्यटन गतिविधियों में प्रकृति की सैर और पक्षी अवलोकन, कैंपिंग (कम प्रभाव वाला, पर्यावरण के अनुकूल), सांस्कृतिक पर्यटन और विरासत की सैर, वन्यजीव फोटोग्राफी (गैर–हस्तक्षेपकारी), सतत कृषि पर्यटन (कृषि पर्यटन), नदी राफ्टिंग और कैनोइंग (पर्यावरण के अनुकूल) और जड़ी–बूटी और औषधीय पौधों के दौरे शामिल हैं, जैसा कि परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.5, अनुभाग 1.2.5.6 में दिखाया गया है।

5.7 संपर्क सूत्र

सतपुड़ा टाईगर रिज़र्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संपर्क सुविधा महत्वपूर्ण है। प्रतिमाएं, कलाकृति, सांस्कृतिक स्मारक और कथाएं तथा पक्का पैदल मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है। दोकरीखेड़ा में झील तट विकास पैदल मार्ग और फूड स्ट्रीट मार्केट प्रस्तावित है जैसा कि अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.5, अनुभाग 1.2.5.7 में दर्शाया गया है। सतपुड़ा टाईगर रिज़र्व में बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर सम्पर्क सूत्र (कनेक्टिविटी) प्रस्तावित हैं जैसा कि 11.7.1 में चर्चा की गई है।

5.8 अधोसंरचना

पर्यटन स्थलों के विकास और आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अधोसंरचना आवश्यक है। स्थल पर उपलब्ध अधोसंरचना में ई–शौचालय, पानी के फव्वारे, स्टैंडपोस्ट, साइनेज, कूड़ेदान और चेंजिंग रूम शामिल होने चाहिए। प्रस्तावित अधोसंरचना का विवरण अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2.5.8 में दर्शाया गया है।

आवास

मटकुली में वाणिज्यिक होटल प्रस्तावित हैं क्योंकि इसे पचमढ़ी के लिए काउंटर मैग्नेट के रूप में विकसित किया जा सकता है। कैम्पिंग के अतिरिक्त अलीमोड और बरूथ समूह में पर्यटकों के लिए कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रस्तावित आवास रानीपुर–तवानगर, मंगरिया, खरपावद, सारंगपुर, टेकापुर चौरमढ़ी, पिसुआ और मेहंदीखेड़ा, मटकुली, भरगोंदी, बंधन, सांगाखेड़ा, धसई और बरधा में प्रस्तावित है।

5.9 सतपुड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देना

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टीवी, प्रिंट और डिजिटल जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन का उपयोग किया जाता है ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। माध्यम का चुनाव बजट और लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। सतपुड़ा में, ब्लॉगर्स, प्रशिक्षण केंद्रों, प्रदर्शनियों, डेस्टिनेशन वेडिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं एवं मैराथन जैसे आयोजनों के माध्यम से अनुभव–आधारित प्रचार से क्षेत्रीय आकर्षण और ब्रांड की दृश्यता बढ़ती है। प्रशिक्षण, प्रदर्शनियों और सभाओं के माध्यम से प्रचार किया जा सकता है, जैसा कि परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.5, खंड 1.2.5.10 में दर्शाया गया है।

==00==

6 अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण

6.1 अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण

भटोदी और चीचा के इन क्षेत्रों में जैव विविधता अद्वितीय है क्योंकि यह क्षेत्र अब तक अछूता रहा है। यहां जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन भी किया जा सकता है। चीचा और भटोदी क्षेत्रों को अनुसंधान स्थलों के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पचमढ़ी और बरगोंडी भी संभावित स्थल हो सकते हैं क्योंकि इनमें जैव विविधता है और ये क्षेत्र वन और जैव विविधता पर अनुसंधान और संरक्षण कार्य के लिए अद्वितीय हैं। अनुसंधान कार्य के लिए सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से अनुमति और राज्य जैव विविधता बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। प्रस्तावित स्थलों में भटोदी, चीचा, पचमढ़ी और बरगोंडी शामिल हैं।

6.2 योजना के कार्यान्वयन और कौशल विकास के लिए मानव संसाधन विकास

क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण एक अभिन्न अंग है। पर्यटन, संरक्षण और वन संरक्षण के साथ–साथ आधारभूत संरचना के रखरखाव के लिए कुशल श्रम उत्पन्न करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में लागू होंगे। कार्य कुशलता बढ़ाने और ज्ञान संवर्धन के लिए संरक्षण उपायों और प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.6, तालिका 6.1 में दर्शाए गए हैं।

==00==

7 अनुमतियाँ, संगठन और प्रशासन

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के भीतर अनुमतियाँ जारी करने की प्रक्रिया पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र क्षेत्रीय विकास योजना में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। अनुमतियों को दो प्रकार की गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया है: विनियमित एवं प्रोत्साहित गतिविधियाँ और निषिद्ध गतिविधियाँ। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र विकास योजना में निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार, नियामक प्राधिकरण निगरानी समिति से अनुशंसाएँ प्राप्त करने के बाद विनियमित एवं प्रोत्साहित गतिविधियों के लिए अनुमतियाँ जारी करेंगे। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र क्षेत्रीय विकास योजना में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार, केवल उन्हीं गतिविधियों के लिए अनुमतियाँ दी जाएगी जो निषिद्ध नहीं हैं। यदि कोई गतिविधि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र विकास योजना में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, तो नियामक प्राधिकरण निगरानी समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं के आधार पर अनुमति प्रदान करेंगे।

सारिणी 7.1 विनियामक प्राधिकरण के अधीन विनियमित गतिविधियों की सूची

क्र.	विनियमित गतिविधियाँ	विनियामक प्राधिकरण
1	होटलों एवं रिसॉर्ट्स की वाणिज्यिक स्थापना	राजस्व विभाग, वन विभाग एवं स्थानीय निकाय
2	निर्माण गतिविधियाँ	राजस्व विभाग, वन विभाग एवं स्थानीय निकाय
3	लघु स्तर के गैर–प्रदूषणकारी उद्योग	राजस्व विभाग, वन विभाग एवं स्थानीय निकाय
4	वाणिज्यिक बकरी एवं भेड़ पालन	राजस्व विभाग, वन विभाग एवं स्थानीय निकाय
5	वृक्षों की कटाई	राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय एवं वन विभाग
6	बकरी पालन	स्थानीय निकाय एवं वन विभाग
7	वानिकी उत्पाद अथवा गैर–काष्ठ वानिकी उत्पाद (एनटीएफपी) का संग्रहण	स्थानीय निकाय एवं वन विभाग
8	प्रवासी चरवाहे	स्थानीय निकाय एवं वन विभाग
9	विद्युत एवं संचार टावरों की स्थापना तथा केबल्स एवं अन्य अधोसंरचना का स्थापित करना	राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, वन विभाग एवं विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम)
10	नागरिक सुविधाओं सहित अधोसंरचना	राजस्व विभाग, वन विभाग एवं स्थानीय निकाय
11	विद्यमान मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा नए मार्गों का निर्माण	राजस्व विभाग, वन विभाग एवं स्थानीय निकाय
12	पर्यटन से संबंधित अन्य गतिविधियाँ, जैसे हॉट एयर बलून, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स द्वारा ईएसजेड क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरना	राजस्व विभाग, वन विभाग एवं स्थानीय निकाय
13	पर्वतीय ढलानों एवं नदी तटों का संरक्षण	स्थानीय निकाय, वन विभाग एवं कलेक्टर
14	रात्रिकालीन वाहनों के यातायात का आवागमन	स्थानीय निकाय, वन विभाग
15	स्थानीय समुदायों द्वारा चालू कृषि एवं बागवानी गतिविधियाँ, साथ ही डेरी,	स्थानीय निकाय

	दुग्ध उत्पादन, जलीय कृषि तथा मत्स्य पालन	
16	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/प्रवाह का निष्कासन	स्थानीय निकाय, वन विभाग एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीपीसीबी)
17	सतही एवं भूजल का वाणिज्यिक दोहन	स्थानीय निकाय, जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए), कलेक्टर
18	कृषि या अन्य उपयोग हेतु खुले कुएँ, नलकूप आदि	स्थानीय निकाय एवं कलेक्टर
19	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन	स्थानीय निकाय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), एमपीपीसीबी, स्वास्थ्य विभाग
20	विदेशी प्रजातियों का प्रवेश	स्थानीय निकाय, कलेक्टर, वन विभाग
21	इको–पर्यटन	स्थानीय निकाय, पर्यटन विभाग, वन विभाग
22	वाणिज्यिक साइनेज एवं होर्डिंग्स	स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग, वन विभाग
23	ध्वनि प्रदूषण	स्थानीय निकाय, एमपीपीसीबी एवं जिला प्रशासन

अंतर–विभागीय बैठकों में हुई चर्चाओं के आधार पर ये दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्रों में विकास के लिए ये दिशानिर्देश संरक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए रूपरेखा किए गए हैं, ताकि स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके और साथ ही ज़िम्मेदार विकास को भी बढ़ावा मिले। संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किमी के भीतर के क्षेत्रों (कोई भी नया व्यावसायिक निर्माण प्रतिबंधित है), 20 डिग्री से अधिक ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों, जल निकायों के आसपास के संरक्षण क्षेत्रों, टाईगर कॉरिडोरें और धार्मिक महत्व के स्थानों में विकास प्रतिबंधित रहेगा। भूमि उपयोग से संबंधित विशिष्ट स्थानों का उल्लेख नहीं किया गया है, पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्रों क्षेत्रीय विकास योजना में सभी प्रस्तावों के लिए केवल सुझावात्मक स्थान ही दर्शाए गए हैं।

संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किमी के भीतर कोई नया वाणिज्यिक निर्माण कार्य प्रतिबंधित– संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किमी के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, अंदर नए वाणिज्यिक निर्माण कार्य निषिद्ध है। हालांकि, पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में वर्तमान होटलों और रिसॉर्ट्स का नवीनीकरण और पुनर्निर्माण अनुमत है। (गजट नोटिफिकेशन क्रमांक 2538–अ, दिनांक 09 अगस्त 2017 का क्लॉज 4(ख) विनियमित क्रियाकलाप संख्या 12 एवं 13) अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.3, चित्र 2.3 देखें।

तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियाँ– 20 डिग्री से अधिक तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए केवल कुछ ही गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय निवासियों को आवासीय उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, संयोजकता में सुधार के लिए वर्तमान सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, साथ ही नई सड़कों का निर्माण भी अनुमत होगा। समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने

के लिए आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं के निर्माण और नवीनीकरण की भी अनुमति होगी। इन ढलान वाले क्षेत्रों में चल रही विनियमित और प्रोत्साहित गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति होगी। हालांकि, पर्यावरण की रक्षा और ढलान के और अधिक क्षरण को रोकने के लिए इन संवेदनशील क्षेत्रों में उद्योगों, होमस्टे, नए वाणिज्यिक उद्यमों, होटलों और रिसॉर्ट्स सहित अन्य सभी गतिविधियों पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा, जैसा कि परिशिष्ट 1. 2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.3, चित्र 2.5 में दर्शाया गया है।

जल स्रोतों के बफर क्षेत्र के आसपास अनुमेय गतिविधियाँः जल निकायों के चारों ओर बफर क्षेत्र परिभाषित करने के लिए समान दिशानिर्देश स्थापित किए गए हैं, जो संरक्षण उद्देश्यों के लिए तटवर्ती क्षेत्रों के रूप में कार्य करेंगे। इन बफर क्षेत्रों के भीतर, केवल संरक्षण गतिविधियाँ, कृषि और संबंधित कार्य ही अनुमत होंगे। पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा के लिए अन्य सभी गतिविधियाँ निषिद्ध रहेंगी। बड़ी नदियों और झीलों के उच्च जल स्तर या निम्न जल स्तर से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी बनाए रखी जाएगी, जबकि तालाबों और धाराओं जैसे छोटे जल निकायों के किनारों से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी बफर के रूप में आवश्यक होगी। चित्र 10–5 देखें। ये दिशानिर्देश क्षेत्र में जल संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं, जैसा कि परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.3, चित्र 2.4 में दर्शाया गया है।

टाईगर कॉरिडोर के भीतर और आसपास विकास के लिए दिशानिर्देश–

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बाघ गलियारे संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, जनसंख्या वाली भूमि पर और उसके 100 मीटर के बफर क्षेत्र के भीतर आवासीय निर्माण की अनुमति है। गैर–जनसंख्या वाली भूमि में, 0.1 के फर्शी क्षेत्रानुपात प्रतिबंध के साथ आवासीय निर्माण की अनुमति है। वर्तमान सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, साथ ही नई सड़कों का निर्माण, अनुमत है। अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं का निर्माण या नवीनीकरण किया जा सकता है। हालांकि, नए वाणिज्यिक निर्माण निषिद्ध हैं। बाघ गलियारे को अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.2, खंड 1.2.2.3, चित्र 2.6 में दर्शाया गया है।

संरक्षित क्षेत्र से 1 किमी की दूरी पर स्थित और खड़ी ढलानों पर मंदिर निर्माण के लिए दिशानिर्देश–

संरक्षित क्षेत्र से 1 किमी की दूरी के भीतर और पहाड़ी ढलानों पर स्थित धार्मिक स्थलों के लिए, नियम स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं जो कि केवल मंदिर के निर्माण/नवीनीकरण/जीर्णोद्धार के लिए प्रारूप शर्तों के अनुसार वर्तमान निर्मित क्षेत्र में ही विकास की अनुमति दी जाएगी। खड़ी ढलानों पर स्थित और संरक्षित क्षेत्र से 1 किमी की दूरी पर स्थित धार्मिक स्थलों में किसी भी प्रकार की नई व्यावसायिक संरचना या व्यावसायिक संरचना का विस्तार करने की अनुमति नहीं है।

7.1 संरचना एवं उत्तरदायित्व

सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के आसपास के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में विकास गतिविधियों की निगरानी स्थानीय निकायों, राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग जैसे नियामक प्राधिकरणों के अधीन होगी। ये नियामक प्राधिकरण राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित नियामक गतिविधियों की अनुमति के संबंध में निगरानी करेंगे। नियामक प्राधिकरणों के अंतर्गत नियामक गतिविधियों की सूची अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.7, तालिका 7.1 में दी गई है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में विकास, संरक्षण और प्रतिबंधित क्षेत्रों को चित्र 7.1 में दर्शाया गया है।

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार, नियामक प्राधिकरण निगरानी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर विनियमित और प्रोत्साहित गतिविधियों को स्वीकृति देगा। निषिद्ध गतिविधियों के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

==00==

8 चरणबद्ध प्रक्रिया

8.1 प्रस्तावों की चरणवार प्राथमिकता

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास योजना में समूह–आधारित प्रस्तावों के लिए दृष्टिकोण को क्षेत्र के विशाल विस्तार के कारण अपनाया गया है। कुल पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को उसकी प्राकृतिक सीमाओं, विशेषताओं, आजीविका और अन्य कई कारकों के आधार पर 14 समूहों में विभाजित किया गया है, ताकि पर्यटन, आजीविका और संरक्षण जैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। नीचे दिए गए खंड में, प्रस्तावों की प्राथमिकताएं अल्पकालिक (0–7 वर्ष), मध्यम अवधि (7–14 वर्ष) और दीर्घकालिक (14 वर्ष से अधिक) के आधार पर दी गई हैं। प्राथमिकता का निर्धारण निम्नलिखित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए किया गया है–

1. क्षेत्र का प्रारूप महत्व (जैसे पर्यटन, आजीविका गतिविधियाँ आदि)
2. उपलब्ध आधारभूत संरचना
3. विकास की संभावना और संरक्षण उपायों की आवश्यकता
4. प्रस्तावों की परस्पर निर्भरता

8.1.1 पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रस्तावित चरणबद्ध क्रियान्वयन

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में पर्यटन के अपार अवसर हैं। पर्यटन गतिविधियों की प्राथमिकताएं वर्तमान पर्यटन गतिविधियों, आधारभूत संरचना और विकास की संभावना के आधार पर तय की जाती हैं। गतिविधियों के लिए संक्षिप्त चरणबद्ध योजना परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.8, खंड 1.2.8.1.1, तालिका 8.1 में दर्शाई गई है।

8.1.2 विकास और संरक्षण प्रस्तावों के लिए प्रस्तावित चरणबद्ध क्रियान्वयन

पारंपरिक फसल उत्पादन, मधुमक्खी पालन विकास, कृषि–वानिकी और लघु एवं वन उत्पादों में विभिन्न मूल्यवर्धन के माध्यम से आजीविका जैसी विकास गतिविधियाँ, साथ ही भू–जल और सतही जल संरक्षण, अंधकारमय आकाश का संरक्षण आदि जैसी संरक्षण प्रक्रियाएँ दीर्घकालिक प्रक्रियाएँ हैं। ये गतिविधियाँ वर्तमान योजनाओं के अनुसार प्रस्तावित हैं और इनके विकास में समय लग सकता है। इन गतिविधियों को क्षेत्रीय विकास योजना के सभी चरणों में सतत विकास के रूप में माना जाता है। विकास और संरक्षण गतिविधियों के चरणबद्ध निर्धारण परिशिष्ट 1.2, अध्याय 1.2.8, खंड 1.2.8.1.2, तालिका 8.2 में दर्शाए गए हैं।

8.1.3 अधोसंरचना के लिए प्रस्तावित चरणबद्ध क्रियान्वयन

अधिसूचित ग्रामों में अधोसंरचना विकास की प्राथमिकता समूह में प्रस्तावित गतिविधियों पर आधारित है। ग्रामवार अधोसंरचना विकास की प्राथमिकता अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.8, खंड 1.2.8.1.3, तालिका 8.3 में दी गई है।

8.2 वित्तपोषण का स्रोत और आहरण एवं संवितरण तंत्र

निधि का स्रोत और आहरण एवं विभाजन तंत्र अनुलग्नक 1.2, अध्याय 1.2.8, खंड 1.2.8.2, तालिका 8.4 में दर्शाया गया है।

==00==

9 निष्कर्ष

सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजना और उप–क्षेत्रीय पर्यटन विकास योजना सतत विकास और संरक्षण के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी आधारभूत संरचना प्रस्तुत करते हैं। सुस्पष्ट उद्देश्यों, रणनीतिक भूमि उपयोग योजना और पर्यावरण के अनुकूल दिशा–निर्देशों को एकीकृत करके, यह योजना क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है।

नियमित विकास, पर्यावरण–अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने और कौशल विकास एवं आजीविका के अवसरों जैसी सामुदायिक पहलों के माध्यम से, यह योजना स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बढ़ाते हुए पर्यावरण पर प्रभाव को कम करती है। पर्यावरण संरक्षण, संसाधन प्रबंधन और कम प्रभाव वाली पर्यटन गतिविधियों पर जोर देने से प्राकृतिक आवासों और वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और भी मजबूत होती है।

कड़ी निगरानी, हितधारकों के सहयोग और नवाचारी अधोसंरचना प्रस्तावों के साथ, यह योजना सतत प्रगति के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य भावी पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिक और सांस्कृतिक धरोहर बना रहे।

==00==